



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 205 राँची, शुक्रवार, 25 वैशाख, 1942 (श०)
15 मई, 2020 (ई०)

गृह, कारा, एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

14 फरवरी, 2020

संख्या-13/पी०-1-104/2019- 836--सी०, श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से० (1990) के विरुद्ध झारखण्ड में संपन्न राज्य सभा चुनाव, 2016 के दौरान पद का दुरुपयोग कर वोटर्स के मताधिकार का प्रयोग करने में हस्तक्षेप करते हुए चुनाव प्रभावित करने के आरोप को प्रथम द्रष्टया सत्य पाये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली, 1968 के नियम-5 (1) एवं 5 (4) के उल्लंघन के संदर्भ में इस विभाग के ज्ञापन संख्या-2177, दिनांक-13.04.2018 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी है। श्री गुप्ता द्वारा उक्त कार्य कर पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है। यह आचरण अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली, 1968 के नियम-3 (1) के प्रतिकूल है । इस आरोप की गंभीरता के मद्देनजर ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा चुनाव, 2019 निर्वाचन अवधि में श्री गुप्ता को राज्य से बाहर रहने का निदेश दिया गया था ।

उपरवर्णित राजनीतिक तटस्थता के उल्लंघन संबंधी आरोप की संवेदनशीलता के मद्देनजर श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से० (1990), अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 (1) (a) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

2. निलंबन अवधि में श्री अनुराग गुप्ता, भा०पु०से० का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची होगा ।

3. श्री गुप्ता, भा०पु०से० को अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-4 (1) एवं 4 (2) के अन्तर्गत निलंबन अवधि में अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा
सरकार के अवर सचिव ।
